संचिका संख्या : 30/2015

दिनांक : .18.05.2022

राज्य आयोग के द्वारा दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 06.01.2015 में प्रकाशित समाचार " बाल सुधार गृह में एसिड पी बंदी ने की आत्महत्या"।

पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह प्रस्तुत संचिका संधारित की गई तथा वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना एवं अधीक्षक बाल गृह को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

1. संचिका में निदेशक समाज कल्याण के पत्र के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक का पत्र तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी का एक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध है जो (पृष्ठ 03—04) प0 पर रक्षित है।

2. तत्कालीन अधीक्षक बाल सुधार गृह श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह का भी एक स्पष्टीकरण संचिका में उपलब्ध है जो (पृष्ठ 11—12) प0 एवं (पृष्ठ15 से 21) प0 पर रक्षित है।

3. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का एक प्रतिवेदन जो उप सचिव मानवाधिकार आयोग को भेजा गया है (पृष्ठ 38—39) प0, अनुमंडल पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन पर्यवेक्षण टिप्पणी नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के प्रतिवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य कागजातों के साथ संचिका में उपलब्ध है जो पृष्ठ 23 से 35/ प0 पर रक्षित है।

4. संचिका में नगर पुलिस अधीक्षक पटना का एक प्रतिवेदन दिनांक 06.01.2016 जो मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया गया है निदेशक समाज कल्याण के कार्यालय आदेश के साथ उपलब्ध है जो पृष्ठ 53—56 /प0 पर रक्षित है।

5. इसी तरह नगर पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन पृष्ठ 60—61/ प0 पर रक्षित है।

6. वरीय पुलिस अधीक्षक का पत्र जो जिला अधिकारी पटना को संबोधित है पृष्ठ 63/प0 पर रक्षित है।

7. संचिका में निदेशक समाज कल्याण का प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2016 के साथ तत्कालीन प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के आदेश की प्रति जो तत्कालीन अधीक्षक अमरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा दाखिल किये गये अपील अभ्यावेदन पर है भी उपलब्ध है।

8. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का एक प्रतिवेदन जो वरीय पुलिस अधीक्षक को समर्पित है की प्रति (पृष्ठ 80—81)/ प0पर रक्षित है एवं नगर पुलिस अधीक्षक पटना पूर्वी का

प्रतिवेदन जो सहायक निबंधक राज्य आयोग को संबोधित है जो (पृष्ठ 81 से 83)/ प0 नगर पुलिस अधीक्षक का अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2017 (पृष्ठ 89से 90) प0 पुनः पुलिस अधीक्षक पटना का अद्यतन प्रतिवेदन (पृष्ठ 99)प0 जिसके साथ एक सीडी भी संलग्न है।

पुलिस अधीक्षक नगर पटना पूर्वी का अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 24.09.2018 एवं 26.06.2020 प्राप्त कराया गया है। पृष्ठ (111—112 प0 और पृ0 116—117 प0 प्राप्त है।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राज्य आयोग के निर्देश के आलोक में यह संचिका अपर पुलिस महानिदेशक, एवम् निबंधक राज्य आयोग की एक संयुक्त समिति बनाते हुए जांच हेतु भेजी गई थी और संयुक्त समिति की जांच प्रतिवेदन (पृष्ठ 166—169) प0 प्राप्त है।

1. निदेशक समाज कल्याण के द्वारा बाद में मृत बालक मो0 दानिश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति

2. **Forensic Science laboratory** की रिपोर्ट की प्रति

3. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के जांच प्रतिवेदन की प्रति

4. स0अ0नि0, आलमगंज थाना, पटना एवं अ0नि0, आलमगंज थाना— पटना का प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ 8—10)

5. अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ 11—18 प0)

6. उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, पटना का जांच प्रतिवेदन (पृष्ठ19 एवं 20) प0 की प्रति

7. तत्कालीन अधीक्षक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह पर कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन (पृष्ठ 21) पर

8. परिजनों को मुआवजा से संबंधित जिला पदाधिकारी पटना के पत्र (पृष्ठ 22—24 प0) पर उपलब्ध कराया गया है।

संचिका के आदेश फलक के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 16.02.2016 के पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के द्वारा यह बताया गया कि एक आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष इस कांड को **Reopen** करने हेतु भेजा गया है।

यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 25.04.2016 के आदेश के द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा अधीक्षक को दिये गये दंड से असंतुष्टता प्रकट की गई है।

संचिका के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आलमगंज थाना कांड संख्या 05/15 अनुसंधानोपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या 61/15 दिनांक 20.03.2015 तथा मृतक के परिजन को मुआवजा हेतु प्रस्ताव जिला अधिकारी पटना को समर्पित किया गया है यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आयोग के निर्देशानुसार माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पुनः अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड के वर्तमान में अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 राजेश कुमार आलमगंज थाना है।

यह भी प्रतीत होता है कि समय–समय पर पुनः अनुसंधान के बिन्दु पर दिनांक 25.06. 2019 के द्वारा राज्य आयोग के द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने के आदेश के आलोक में कई अद्यतन प्रतिवेदन जो वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

आदेश फलक से यह भी स्पष्ट है कि इसी तरह का एक और घटना में एक विधि विरुद्ध बालक के हत्या बाल सुधार गृह भोजपुर आरा में की गयी थी उस समय में बाल सुधार गृह भोजपुर अधीक्षक पद पर श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह पदस्थापित थे जो बाल सुधार गृह गाय घाट में भी इस घटना के समय पदस्थापित थे। बाल सुधार गृह भोजपुर में हत्या के घटना के लिए पूर्व में संज्ञान लिया जा चुका है और उसके लिए अलग से संचिका संख्या 5803/2017 संधारित की गई है।

राज्य आयोग के आदेश दिनांक–10.02.2021 के आदेश के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक निबंधक बिहार मानवाधिकार आयोग के संयुक्त समिति टीम बनाते हुए इस संबंध में विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

संयुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि जांच समिति के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना से आलमगंज थाना कांड संख्या 05/2015 में पुनः अनुसंधान के बिन्दु पर अद्यतन स्थिति के प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसके आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार वादी श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह अधीक्षक पर्यवेक्षण बाल गृह के लिखित आवेदन के आधार पर 4 नामजद बाल आवासी के द्वारा विधि विरुद्ध आवासी मो0 दानिश के साथ मारपीट करने और तंग आकर एसिड पीने के कारण मृत्यु होने के आरोप में दाखिल किया गया था। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा उपरोक्त कांड में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं ज्ञापंक 446/15 के माध्यम से मृतक के परिजन

के मुआवजा हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी पटना को समर्पित किया गया है यह भी कहा गया है कि माननीय राज्य आयोग के आदेश के आलोक में इस कांड में पुनः अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। मृतक के बिसरा रिपोर्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिये जाने की बात कही गई है। प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार इस कांड में निर्गत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार इस कांड को अब तक के अनुसंधान, प्रगति प्रतिवेदन से धारा–306 भा0द0वि0 के अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह, गायघाट, थाना–आलमगंज के विरुद्ध सत्य प्रतीत होने का अभिमत दिया गया है।

संयुक्त जॉच समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये प्रगति प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक के अनुभव के कमी तथा गृह के अन्दर मामले की गंभीरता को नहीं भांप पाने के कारण घटना घटित होने की बात कही गई है। अगर शुरू से गंभीरता बरती जाती तो इस तरह के घटना नहीं होती। प्रगति प्रतिवेदन में मो0 दानिश को एसिड पीने की जानकारी होने पर भी तत्कालीन अधीक्षक एन0एम0सी0एच0 विलंब से पहुंचने की बात बताई गई है और तत्कालीन अधीक्षक को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरक का आरोप में दोषी पाना प्रतीत होने की बात कही गई है। क्योंकि अधीक्षक के रूप में उनका कर्त्तव्य था, कि किसी भी प्रकार की मारपीट या सताये जाने की शिकायत आने पर तुरन्त सख्ती से कार्रवाई करते, कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को शह मिला कि वह मृतक को सताते रहे जिस कारण मृतक दानिश आत्महत्या करने को मजबूर हो गये।

समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत निदेशक समाज कल्याण के द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन कागजात के साथ समर्पित किया गया है जो की (पृष्ठ 125 से 158 प0) पर रक्षित है।

संचिका में उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मृतक विधि विरुद्ध बालक के शरीर पर चोट के निशान थे और मृत्यु के कारण **Chemical Analysis** रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रखा गया था। **Forensic Science Report** (पृष्ठ 155–156) से यह प्रतीत होता है कि जांच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया गया जो **Highly Corrosive Nature** का है।

निदेशक समाज कल्याण के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह जांच पदाधिकारी व्यावहार न्यायालय पटना सिटी का एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिन्होंने पदाधिकारी, कर्मचारियों एवम् बाल आवसियों के बयान एवं घटनास्थल के अवलोकन तथा पर्यवेक्षण गृह के वी वार्ड में उपस्थित आवासियों से पूछ—ताछ के उपरांत यह प्रतिवेदित किया है कि आवासी दानिश ने दिनांक 05.01.2015 की सुबह पी लिया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे ईलाज हेतु तुरंत एन0एम0सी0एच0 पटना में ले जाया गया था तथा ईलाज के दोरान उसी दिन लगभग 09.30 —10.00 बजे उसकी मृत्यु एन0एम0सी0एच0 में ही हो गई। घटना के पहले की रात्रि में दानिश के साथ किसी अप्रिय व्यवहार किए जाने की बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन पर्यवेक्षण गृह में उसके प्रवेश के दिन तथा घटना से दो—तीन दिन पहले उसके साथ मार—पीट की गई थी। जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि दानिश के साथ अवीनाश कुमार उर्फ लम्बु, सौरभ कुमार, डब्बु उर्फ राजीव तथा सिंटु ने मारपीट की थी। यह भी जानकारी मिली है कि दानिश के साथ मारपीट करने का मुख्य आरोपी अवीनाश कुमार उर्फ लम्बु है तथा उसके सहयोगी के रूप में अन्य लड़के है। सभी साक्षियों एवं पर्यवेक्षण गृह के आवासियों से लिखित एवं मौखिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार अवनीश कुमार उर्फ लम्बु पर्यवेक्षण गृह में अपनी दबंगई दिखाने के लिए पर्यवेक्षण गृह के लड़कों के साथ मारपीट करता रहता था तथा सौरभ कुमार, डब्बु उर्फ राजीव, सिंटु कुमार तथा कुछ और लड़के उसके उकसाने पर तथा दबाव से उसे मार—पीट करने में सहयोग करते थे। यह भी जानकारी मिली है कि रात्रि में वार्ड बंद होने के बाद सोने के समय वे पर्यवेक्षण गृह के लड़कों के साथ मार—पीट करते थे तथा उन्हें इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को नहीं देने की बात कहकर धमकी भी देते थे। इनके डर से पीड़ित लड़के अधिकारी से शिकायत नहीं करते थे। इसके फलस्वरूप पर्यवेक्षण गृह के अधिकारी मामले की गंभीरता को नहीं भॉप सके थे।

यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवासी लड़को द्वारा झाडूकश से तेजाब मांगकर रख लिया जाता था जिससे बाद में वार्ड की सफाई सभी लड़के मिलकर करते थे। इसी क्रम में तेजाब बाथरूम के बगल में तख्ती पर रखा हुआ था जिसे पीड़ित दानिश ने पी लिया था। वहाँ तेजाब का उपलब्ध होना भी दानिश की मृत्यु का करण प्रतीत होता है।

अपने निष्कर्ष में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा यह कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक के अनुभव की कमी तथा गृह के अंदर के मामले

की गंभीरता को नहीं भांप पाने के कारण इस तरह की घटना घटी। ऐसा लगता है कि यदि छोटी—से—छोटी घटना के प्रति भी गंभीरता से बरती जाती तो इस तरह की घटनाओं की संभावना नही ंके बराबर रहती। साथ ही आवासियों के दिमाग में व्याप्त लम्बु एवं अन्य लड़के का डर भी इस तरह की घटना का कारण प्रतीत होता है।

उप निदेशक समाज कल्याण के द्वारा भी घटना की जांच दिनांक 05.01.15 को की गई और उन्होंने भी अपना जांच में यह प्रतिवेदित किया है कि जांच पड़ताल एवं पुछ—ताछ से यह स्पष्ट है कि गृह के अंदर दंबग बच्चों के द्वारा छोटे बच्चों के साथ मारपीट के घटना को अंजाम दिया जाता है और इसकी रोक थाम हेतु गृह प्रबंधन द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। अतः गृह के अधीक्षक एवं गृहपति की कार्य की प्रति उदासीनता परिलक्षित प्रतत हाती है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दबंग बच्चों को अन्य गृहों में स्थानान्तरीत करना वांछित है।

पूर्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 02.04.2015 के (पृष्ठ 153—154प0) में भी यह प्रतिवेदित किया है कि पर्यवेक्षण के क्रम में एवं घटना स्थल के निरक्षण के दौरान बाल आवासियों के द्वारा पर्यवेक्षण गृह में अविनाश कुमार, सौरभ कुमार, राजू कुमार, सिन्टु कुमार सभी बंदियों के द्वारा इन लोगों के साथ मारपीट किये जाने तथा घटना के दो तीन दिन पूर्व से लगातार मृतक के साथ उन लोगों के द्वारा मारपीट किये जाने की बात कही गई है। यहां यह भी कहा गया है कि इसके चलते काफी मानसिक परेशान थे। दिनांक—05.01.2015 के सुबह में एसिड पीकर आत्महत्या कर लिया। बाल आवासियों के द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त दंबग प्रवृत्ति के विधि विरुद्ध बालकों के द्वारा पंखे में लटकाकर मारपीट की जाती थी। उन लोगों का बिस्तर, कपड़े तथा जुठे बरतन साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था। धमकी दिया जाता था कि शिकायत करने पर अंजाम बुरा होगा बाल आवासी के द्वारा यह भी बताया गया कि वह मारपीट के डर से पर्यवेक्षण गृह से भागने के कोशिश की जिस क्रम में भागने के चलते उसका पैर टुट गया जिसका वर्तमान में ईलाज चल रहा है। बाल आवासी के द्वारा यह भी बताया गया कि मारपीट और प्रताड़ना के शिकायत अधीक्षक से की गई थी ऐसा प्रतीत होता है कि अधीक्षक के द्वारा शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। एसिड के उपलब्धता के बारे में यह प्रतिवेदित किया गया है कि बाथरूम एवं शौचालय के साफ—सफाई के लिए एसिड अधीक्षक के द्वारा सामान्य तौर पर सफाईकर्मी एवं विशेष परिस्थिति में सफाई हेतु बाल आवासियों को भी दे दिया जाता था तथा

बाल आवासियों को द्वारा भी बाथरूम आदि की सफाई कर ली जाती थी। एसीड जैसा प्राणघातक पदार्थ बाल आवासियों के पास उपलब्ध हो जाता था जो अपने आप में इस बात को परिरक्षित करता है कि पर्यवेक्षण गृह के प्रबंधन के द्वारा ऐसे पदार्थ का रख रखाव एवं उपयोग आदि को लेकर काफी शिथिलता बरती गई है। प्रतिवेदन में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप—पत्र समर्पित करना भी प्रतिवेदित किया गया है।

नगर पुलिस अधीक्षक का भी कई प्रतिवेदन प्राप्त है जो जिसके द्वारा भी नगर पुलिस अधीक्षक ने माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह तत्कालीन अधीक्षक बाल सुधार गृह गायघाट के पर्यवेक्षण के संलिप्तता के बिन्दु पर अनुसंधान प्रारंभ करने और साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, जो रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 को (पृष्ठ 67—68 प0) पर रक्षित है।

तत्कालीन अधीक्षक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह का भी स्पष्टीकरण उपलब्ध है जिसके द्वारा उन्होंने यह कहा है कि उन्हें घटना की सूचना दिनांक 05.01.2015 को 05:30 बजे सवेरे सुरक्षा प्रहरी द्वारा दी गई। वे तुरंत आये और उन्होंने दूसरे कर्मियों के सहयोग से मृतक मो0 दानिश को नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल में ईलाज हेतु ले गये। पहुंचकर मेडिकल ईलाज के व्यवस्था किये परन्तु वे बच न सका और 09:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने वरीय पदाधिकारी प्रधान न्यायिक दण्डाधिकारी जेजेबी, एसडीओ तथा अन्य पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। मृतक के अभिभावकों का सम्पर्क नम्बर उपलब्ध रहने के कारण उन्हें अस्पताल में बुलाया गया। सारी जरूरी औपचारिकता पूरा करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने यह भी कहा है कि प्राथमिक जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि अन्य बाल बंदियों के द्वारा उस मृतक बालक को प्रताड़ित एवं मारपीट की जाती थी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं थी। उन बालकों को स्थानांतरण दूसरे बाल गृह सुधार में किशोर न्यायालय के आदेश के अनुसार कर दिया गया है। पूर्व में भी उन्होंने बाल सुधार गृह से स्थानांतरण करने हेतु किशोर न्यायालय से अनुरोध किया गया था। अतः यह आरोप की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कि आधारहीन है। एसीड तथा अन्य पदार्थों को स्टोर रूम में सावधानीपूर्वक रखा जाता था तथा वहां से लेकर बाथरूम एवं शौचालय की सफाई के दौरान उसे वहां रख दिया जाता था परन्तु स्वीपर विनोद कुमार के द्वारा सफाई के क्रम में एसीड वहां छुट गया उन्होंने यह भी कहा है कि **Observation** तथा

Special होम एक ही भवन में स्थित होने के कारण हमेशा से ही असुरक्षित रहा है। विधि विरुद्ध बालाकों की संख्या बढ़ गई 60 कर्मचारी के जगह पर सिर्फ 10 कर्मचारी 5 सुरक्षा प्रहरी ही उपलब्ध है। मास्टर का पोस्ट भी खाली है। कोई नियमित डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। **Orientation, Sesitization and Training** का कार्य नहीं किया गया है। यह भी उन्होंने कहा है कि वे नये पदाधिकारी है इस काम का अनुभव नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने पूरी तत्परता के साथ काम किया है। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप आधारहीन है।

1. उपरोक्त सारे तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधि विरुद्ध बालक मो0 दानिश के साथ ही बाल बंदियों एवं विधि विरुद्ध बालक तथा बंदियों के द्वारा प्राथमिक नामजद अभियुक्तों के द्वारा मारपीट की जाती थी जिसके शिकायत करने पर उसे गम्भीरता से नहीं लिया जाना था और कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी।

2. अतः विधि विरुद्ध बालक मो0 दानिश के द्वारा परेशान होकर तख्त पर रखे हुए एसीड को पीकर आत्महत्या की गई।

3. अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि इस संबंध में साक्ष्य है कि बाल बंदियों से वहां की सफाई कराई जाती थी और एसीड सुरक्षित रखने में सावधानी नहीं बरती गई।

4. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने इस संबंध में अधीक्षक के अनुभव के कमी के शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाना जिसके कारण घटना घटित होने की बात प्रतिवेदित किया है।

5. अधीक्षक के स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि बाल सुधार गृह में अन्य कर्मियों के अलावा सुरक्षा कर्मी भी कार्यरत थे और अगर विधि विरुद्ध बालक को अन्य बन्दियों के द्वारा तंग किया जाता था तो सुरक्षा कर्मी या उनके तथा अन्य कर्मचारियों के द्वारा क्या कदम उठाया गया, इस बिन्दु पर सभी प्रतिवेदन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। इस सम्बन्ध में भी अनुसंधान आपेक्षित था पर पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं भेसरा रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मृतक विधि विरुद्ध बालक के शरीर पर चोट के निशान थे। एवं उसके मृत्यु एसीड पीने से हुई जो **Highly Corrossive** था।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि तत्कालीन बाल गृह अधीक्षक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा कार्य में लापरवाही एवं संवेदनशीलता नहीं बरतने के कारण यह घटना घटित हुई है और एक विधि विरुद्ध बालक को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा।

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अधीक्षक एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध अनुसंधान प्रारंभ न कर उनके संलिप्तता के बिन्दु पर अनुसंधान नहीं किया जाना एवम् नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

बाद में राज्य आयोग की पृच्छा के आलोक में तत्कालीन अधीक्षक बाल गृह गायघाट के विरूद्ध अनुसंधान अपर मुख्य दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर शुरु की गई है और आलमगंज थाना कांड संख्या 05/15 अनुसंधान अधीक्षक के विरुद्ध अनुसंधान हेतु लंबित है।

यह स्पष्ट है कि विधि विरूद्ध बालक मो0 दानिश ने अन्य बंदियों के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किये जाने के संबंध में अधीक्षक तथा अन्य कर्मियों से शिकायत करने क बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की है। साथ ही अधीक्षक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा **Hcl** जो **Highly Corrosive Nature** का है, रखने में सावधानी नहीं बरती गई है।

कोई भी बंदी/विधि विरुद्ध बालक बंदी जो बाल सुरक्षा गृह में रह रहे है। उन्हें भी जीने का अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन पर है। परन्तु उपरोक्त विश्लेषण से में यह स्पष्ट है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण घटना घटित हुई है और मृतक विधि विरूद्ध बालक को आत्महत्या करने को विवश होना पड़ा है।

उपरोक्त लापरवाही के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। अतः मृतक विधि विरूद्ध बालक मो0 दानिश के निकट संबंधी को क्षतिपूर्ति अनुदान पाने के हकदार है।

संचिका के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है किइस संबंध में आलमगंज थाना कांड संख्या 05/15 आरोप–पत्र समर्पित करते समय जिला पदाधिकारी से **Victim Compensation scheme** मृतक बालक के संबंधी को मुआवजा दिये जाने की अनुशंसा की गई थी। परन्तु ऐसा कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है जिस से प्रतीत होता है किइस संबंध में मृतक के**NOK** नजदीक संबंधी को क्षतिपूर्ति दिया गया है।

इस संबंध में संचिका के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि तत्कालीन अधीक्षक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह के उपरोक्त कृत्य को देखते हुए उन्हें निलंबित करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की गई जिसमें उन्हें दोषी पाते हुए और द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर असंतोषजनक होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित,2010 के नियम 14 में वर्णित लघु शास्ति तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से स्थगित किये जाने और निलंबन अवधि को कार्यावधि के रूप में कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में माना जायेगा, परन्तु उस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के दण्ड के साथ उन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए पर्यवेक्षण गृह भोजपुर में अधीक्षक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। (पृष्ठ 53—54)प0 श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा आदेश के आलोक में दायर किया गया अपील भी प्रधान सचिव समाज कल्याण के द्वारा भी खारीज किया जा चुका है।

तत्कालीन अधीक्षक श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह जिसके लापरवाही के कारण एक विधि विरूद्ध बालक को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा परन्तु उन्हें इस तरह के लघु शास्ति देते हुए निलंबन मुक्त करते हुए पुनः संवेदनशील जगह पर पदस्थापित करने के आदेश को तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा भी सही नहीं पाया गया था। जो दिनांक 25.04.2016 के आदेश से प्रतीत होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह को बाल सुधार गृह भोजपुर के कार्यकाल के दौरान बाल सुधार गृह भोजपुर में भी एक बालक की हत्या हुई जिसके लिए एक अलग संचिका से 5803/17 संधारित की गई है।

जैसा कि उपर कहा गया है कि बाल सुधार गृह गायघाट में 5 सुरक्षा कर्मी के अलावा अन्य कर्मी भी कार्यरत थे। परन्तु उनके संलिप्तता के बिन्दु पर न तो विभाग के द्वारा कोई जांच की गई न ही पुलिस अधिकारी के द्वारा अनुसंधान किया गया जबकि अगर सुधार गृह में विधि विरुद्ध बालकों से मारपीट की जाती थी पर अधीक्षक, कर्मी एवम् सुरक्षा कर्मी के द्वारा बचाव नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण उपरांत कार्यालय मुख्य सचिव बिहार को विधि विरुद्ध बालक के संबंध में कारण पृच्छा नोटिस भेजते हुए, कारण पृच्छा आदेश प्राप्ति के 6 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्यों नहीं मृतक विधि विरुद्ध बालक मो0 दानिश के सगे संबंधी को 4 लाख रुपये (4,00,000/—) की क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाय।

साथ ही मुख्य सचिव बिहार को, तत्कालीन अधीक्षक अमरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई में लघु शास्ति दिये जाने और अन्य कर्मियों के विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं किये जाने के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्रवाई करने क अनुशंसा किया जाता है।

यह भी अनुशंसा की जाती है कि बाल सुधार गृह तथा अन्य संवेदनशील जगहों पर ऐसे कर्मियों को भविष्य में कभी भी संवेदनशील जगहों पर एवम् जिम्मेवारी का कार्य न सौंपा जाए।

आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण, जिलाधिकारी पटना को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 18.08.2022 को कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson